राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.48/मुसप्र/स्टीफ ऑफ लेण्ड/2013/ 1522 *दिनांकः–* 5/3/13

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त–..................................,
राजस्थान आवासन मण्डल,
....।

विषयः– मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित आवासों के पास उपलब्ध अनुपयोगी भूमि (भू–पट्टी) आवंटन के पश्चात् भिजवाये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओ में आवंटियों को आवंटित आवासों के पास उपलब्ध अनुपयोगी भूमियों (भू–पट्टी) के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त भू–पट्टी के प्रकरणों को आगामी सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष रखे जाने।

अतः इस संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन आवासीय योजनाओं में लम्बित भू–पट्टी के प्रकरणों के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र मुख्यालया को भिजवाये तथा प्रस्ताव में निम्नाकिंत बिन्दुओं का समावेश आवश्यक रूप से किया जावे।

- भू–पट्टी के प्रकरणों में अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव पर संबंधित आवासीय अभियन्ता, सम्पदा प्रबन्धक एवं उप आवासन आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों से भिजवाये।
- भूमि की मौका रिपोर्ट/नगर नियोजक कार्यालय की टिप्पणी/राय स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में टंकित किया जावें तथा पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया जावें।
- सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव में मण्डल द्वारा जारी परिपत्र/कार्यालय आदेश के अनुसार स्पष्ट अनुशंसा का समावेश किया जावें।
- भू–पट्टी का स्वतन्त्र उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं इसकी स्पष्ट अनुशंसा होना अनिवार्य है। जिससे कि मण्डल को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।
- समिति के समक्ष प्रस्ताव/प्रस्तावित भूमि के मानचित्रों की तीन प्रतियों में मुख्यालय को भिजवायी जावें।
- भू–पट्टी का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है। उसका भी स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में किया जावें।
- आवासन आयुक्त महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3496 दिनांक 25.02.2013 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं के साथ लम्बित प्रकरणों के प्रस्ताव/मूल पत्रावली पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, आगामी 15 दिवस में मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। ताकि नियमानुसार एजेण्डा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चत की जा सके।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक